

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र (रु0 100 के स्टाम्प पेपर पर)

(निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को (1) कु0/श्रीमती/श्री आयु वर्ष पुत्री/पत्नी/पुत्र श्री जाति निवासी ग्राम/मु0 डाकखाना तहसील जिला जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2) प्रदीप राय (रजिस्ट्रार) जी0सी0आर0जी0 मेमोरियल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, फ़ैकल्टी ऑफ मैनेजमेन्ट, चन्द्रिकादेवी रोड, पर्वतपुर, जनपद लखनऊ (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है। उसके मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियमावली 2012 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं : -

- 1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 के अनुपालन में देगा।
- 2- प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश जाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।
- 3- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।
- 4- प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसाद देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।
- 5- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।
- 6- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
- 7- उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष :	हस्ताक्षर	द्वितीय पक्ष	हस्ताक्षर
	नाम		नाम व पदनाम
	पिता/पति का नाम		पिता/पति का नाम
	पता		पता

साक्षी सं0-1

साक्षी सं0-2 :-

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
पिता/पति का नाम	पिता/पति का नाम
पता	पता

घोषणा पत्र (रु० 10/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं..... पुत्र/पुत्री..... निवासी.....
..... घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया है जिसके लिये मेरे माता पिता की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है। मेरे माता पिता की कुल वार्षिक आय रु०..... है। मैंने जी.सी.आर.जी. मेमोरियल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, लखनऊ में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाणपत्रों का विवरण सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। उक्त विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाई जाती है तो उसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा।

दिनांक-

घोषणाकर्ता

नाम:

पिता का नाम:

पता:

परिशिष्ट-“च”

छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथ पत्र (रु० 10/- के स्टाम्प पेपर पर)
समक्ष : निदेशक/रजिस्ट्रार, जी०सी०आर०जी० मेमोरियल ट्रस्ट्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, बी०के०टी०, लखनऊ
संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं पुत्र/पुत्री श्री जो ग्राम मुहल्ला
..... जनपद का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

- 1- यह कि मैं ग्राम मुहल्ला तहसील जिला उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
- 2- यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति / जनजाति का हूँ। (जो भी लागू हो) (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
- 3- यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)
- 4- यह कि सम्प्रति मैं **जी०सी०आर०जी० मेमोरियल ट्रस्ट्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, फ़ैकल्टी ऑफ मैनेजमेन्ट, बी०के०टी०, लखनऊ** शैक्षिक संस्थान के पाठ्यक्रम में वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से मान्यता प्राप्त है।
- 5- यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा।
- 6- यह कि मैंने पिछली परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रामाण्य पत्र की प्रति संलग्न है।
- 7- यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
- 8- यह कि मेरा बचत खाता संख्या बैंक के शाखा में खुला हुआ है।
- 9- यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक :

शपथी के हस्ताक्षर

नाम

पिता/पति का नाम

पता